

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 7, 2016 ⁄पौष 17, 1937
No. 13]	NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 7, 2016/PAUSA 17, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2016

सा.का.नि. 13(अ).—केन्द्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं. सा.का.नि. 528(अ), तारीख 11.07.2011 को उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए, यह विनिर्दिष्ट करती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित पशुओं को तमाशा दिखाने वाले पशुओं के रूप में प्रदर्शित अथवा प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा, अर्थात् :—

- 1. भालू
- बंदर
- 3. बाघ
- 4. तेंदुआ
- शेर
- सांड

परंतु 'सांडों' को देश के किसी भी भाग में, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी समुदाय की रूढ़ियों द्वारा या रूढ़ियों के अधीन पारंपरिक व्यवहार या संस्कृति के भाग के रूप में तिमलनाडु में जिल्लिकटटु और महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हिरयाणा, केरल और गुजरात में बैलगाड़ी दौड़ जैसे आयोजनों में तमाशा दिखाने वाले पशुओं के रूप में प्रदर्शित अथवा प्रशिक्षित किया जाता रहेगा, अर्थात् :—

- (i) ऐसा कार्यक्रम किसी जिले में, जहां इनको वार्षिक रूप से पारम्परिक रूप से आयोजित किया जाता है, कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्पष्ट रूप से अनुज्ञात स्थान पर आयोजित किया जाएगा ;
- (ii) बैलगाड़ी दौड़ का किसी उचित मार्ग पर आयोजन हो, जिसकी दूरी 2 किमी. से अधिक नहीं होगी । जिल्लिकट्टू के मामले में, जैसे ही सांड अपना बाड़ा छोड़ेगा, उसे 15 मीटर के घेरे के भीतर काबू किया जाएगा;

86 GI/2016 (1)

- (iii) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पशु पालन और पशु चिकित्सा विभाग के प्राधिकारियों द्वारा सांडों का उचित परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि इस आयोजन में भाग लेने के लिए वे अच्छी शारीरिक दशा में है और सांडों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए किसी भी रूप में औषध नहीं दी है ; और
- (iv) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे आयोजनों के दौरान पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 3 और धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ड) के अधीन पशुओं को प्रदत्त अधिकार और उच्चतम न्यायालय द्वारा 2014 की सिविल अपील सं. 5387 में तारीख 07 मई, 2014 के अपने आदेश में घोषित पांच स्वतंत्रताओं को ऐसे आयोजन के दौरान पूर्ण रूप से संरक्षित किए गए हैं।

परंतु यह और कि इस प्रकार आयोजित जल्लिकटटु या बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन संबंधित जिला प्राधिकारियों के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा :

परंतु यह और भी कि इस प्रकार आयोजित जिल्लकटटु या बैलगाड़ी दौड़ का, यथास्थिति, पशुओं के प्रति क्रूरता का क्रूरता निवारण संबंधी जिला सोसायटी और राज्य पशु कल्याण बोर्ड या जिला प्राधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे आयोजन के अनुक्रम में या उसकी तैयारी में पशुओं को किसी तरीके से कोई अनावश्यक कष्ट या पीड़ा न पहुंचायी जाए या कारित न की जाए, सम्यक् रूप से मानीटर किया जाएगा।

[फा. सं. 27/01/2011-एडब्ल्यूडी]

हेम पाण्डे, विशेष सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2016

G.S.R. 13(E).—In exercise of the powers conferred by Section 22 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forest, Government of India number G.S.R. 528(E), dated the 11th July, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, hereby specifies that the following animals shall not be exhibited or trained as performing animal, with effect from the date of publication of this notification, namely:—

- 1. Bears
- 2. Monkeys
- 3. Tigers
- 4. Panthers
- 5. Lions
- 6. Bulls

Provided that bulls may be continue to be exhibited or trained as a performing animal, at events such as Jallikattu in Tamil Nadu and bullock cart races in Maharashtra, Karnataka, Punjab, Haryana, Kerala and Gujarat in the manner by the customs of any community or practiced traditionally under the customs or as a part of culture, in any part of the country subject to the following conditions, namely:—

- (i) such event shall take place in any Districtwhere it is being traditionally held annually, atsuch place explicitly permitted by the District Collector or the District Magistrate;
- (ii) bullock cart race shall be organised on a proper track, which shall not exceed two kilometres. In case of Jallikattu,the moment the bull leaves the enclosure, it shall be tamed within a radial distance of 15 metre;

- (iii) ensure that the bulls are put to proper testing by the authorities of the Animal Husbandry and Veterinary Department to ensure that they are in good physical condition to participate in the event and performance enhancement drugs are not administered to the bulls in any form; and
- (iv) ensure that the rights conferred upon the animals under section 3 and clause (a) and clause (m) of sub-section (1) of section 11 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960) and five freedoms declared by the Hon'ble Supreme Court in its order dated 7th May, 2014 in Civil Appeal No. 5387 of 2014 are fully protected during such events:

Provided further that any event of Jallikattu or bullock cart races so organised shall be held with the prior approval of the District Authorities concerned:

Provided also further that the Jallikattu or bullock cart races so organised shall be duly monitored by the District Society for Prevention of Cruelty to Animals and State Animal Welfare Board or the District Authorities as the case may be, ensuring that no unnecessary pain or suffering is inflicted or caused, in any manner, whatsoever, during the course of such events, or in preparation thereof.

[F. No. 27/01/2011-AWD] HEM PANDE, Special Secy.